

30/6/25

दुयम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अदालत जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

30/6/25

[Signature]

मैदान जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक 1028/42013 दिनांक 13/2/25 तथा
न्यायालय उपस्थित अधिकारी भीलवाड़ा में गिरफ्तारी राजस्थान कारागारी अधिनियम 1958 की धारा
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एवं 60 के अन्तर्गत किया गया नरसिंह सवाईपुर की पत्रबलिवा कमीशन
होकर वास्तो सुनवाई प्राप्त है कि उक्त कारागार में जमान को वास्तो सुनवाई तक कि वह
जाकर कार्यवाही की जाये कि उक्त कारागार में जमान से जमाने उक्त पत्रबलिवा
का तत्परक रूप में किया जाये कि उक्त कारागार में जमान से जमाने उक्त पत्रबलिवा
धारा 218 (2) में प्रदत्त प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाये कि उक्त कारागार में जमान से जमाने उक्त पत्रबलिवा
में नसीब कर प्रदान किये जाये कि उक्त कारागार में जमान से जमाने उक्त पत्रबलिवा

स्वाभाव मामा में पेश हुई। वादी स्वयं
उपस्थित वादी द्वारा उपस्थित होकर

पक्षकारान् के मध्य मातृश्री ज्ञानपालदा
उपजाय माधिकारी कीटनी में विचारणीय
वाद सं. 682/11 में दिनांक 6/6/23 को
पक्षकारान् के मध्य शशीवामा होने से
कार्यवाही दूर ही ही पेश की। साल ही
पत्रबलि में भागे कोई कार्यवाही नहीं
जाहने का निवेदन किया। वादी द्वारा बादपत्र
में कोई कार्यवाही नहीं जाहने का निवेदन
किये जाने से वादी का वाद स्थायिक किया
जाया है। निम्न सबे शबलात सुनाना
गया। पत्रबलि फैसल हुमार होकर
दार्जिल दफ्तर ही तला बन्दार से कम
हो।

[Signature]
30/6/25
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा